न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1945/11/2007 – विरूध्द – आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2007 पारित – व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 76/अ-2/2004–05 अपील

प्रकाश चन्द्र चौरसिया पुत्र हरदयाल चौरसिया
निवासी नौगॉव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर छतरपुर ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव
अनावेदक के पैनल अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक 19.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 76 अ 2/2004–05 अपील में पारित आदेश दि0 6–2–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वत्व की छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 81/6 एंव 95/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.239 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) है । भूमि पड़त है जिसका वह व्यपवर्तन कराना चाहते हैं, व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की जावे। अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर ने प्रकरण कमांक 129 अ 2/2000–01 पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 27–11–2002 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि व्यपवर्तित कर 12,000/– रूपये प्रीमियम अधिरोपित करने के साथ ही संहिता की धारा 172 का दोषी पाते हुये रूपये 200/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने अपर कलेक्टर

छतरपुर के समक्ष दिनांक 19.2.2004 को अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण कमांक 82/अ-2/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.12.2004 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने द्वित्तीय अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 76 अ 2/2004-05 अपील में पारित अंतरिम आदेश दि0 6-2-2007 से अपील निरस्त की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दि0 27-11-2002 के विरूद्व अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष दि0 19-2-2004 को अर्थात लगभग 01 वर्ष 02 माह 23 दिवस विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान 13-10-2000 की पेशी पर आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही हुई, किन्तु मूल दावाकर्ता आवेदक है जिसे व्यपवर्तन आवेदन देने के वाद न्यायालय में प्रकरण की जानकारी लेने उपस्थित होना था, किन्तु दिनांक 6-4-89 को दावा प्रस्तुत करने के वाद आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में क्या कार्यवाही हो रही है, जानकारी लेने नहीं आया और न ही उसके व्दारा नियुक्त अभिभाषक उपस्थित हुये। अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई हेतु 22-3-93 की तिथी नियत कर आवेदक को प्रारूप 'ए' पर नोटिस भेजा। तामील कुनिन्दा की नोटिस पर टीप है कि आवेदक के भाई ने नोटिस लिया , पढ़ा तथा तारीख पेशी नोट की एंव नोटिस न लेते हुये तामील कुनिन्दा को लौटा दिया। तामील कुनिन्दा ने नोटिस न लेने के कारण एक प्रति आवेदक की दुकान के दरवाजे गवाहों के

समक्ष चस्पा करके नोटिस निर्वाहित किया, फिर भी आवेदक अनुपस्थित रहा।

अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः पेशी 13—10—2000 नियत कर आवेदक को सूचना पत्र भिजवाया जो आवेदक पर 12—10—2000 को निर्वाहित हुआ, किन्तु आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा। फलतः 13—10—2000 को आवेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई एंव प्रकरण आदेश हेतु 27—11—2000 को नियत किया गया, दिनांक 13—10—2000 से 27—10—2000 के बीच के दिनों में भी आवेदक ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उसके व्दारा संहिता की धारा 172 के प्रस्तुत व्यपवर्तन दावे में क्या कार्यवाही चल रही है। स्पष्ट है कि आवेदक ने जानबूझकर न्यायालयीन कार्यवाही की अनदेखी की है जिसके कारण उसके व्दारा अवधि विधान की धारा—5 में दिये गये कारणों को अपर कलेक्टर छतरपुर ने आधारहीन होना मानकर अपील निरस्त की है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 28—2—2005 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अपर कलेक्टर छतरपुर एंव आयुक्त, सागर संभाग के आदेशों के निष्कर्ष समरूप है जिनके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 76 अ 2/2004—05 अपील में पारित अंतरिम आदेश दि0 6—2—2007 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर